

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक- 26/07/17

विषय:- गुवा लिंग पथ MDR(187) बरायबुरु गेट (हाथी चौक) से Welcome Gate तक वन क्षेत्र वाले पथ का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2.356 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-391 दिनांक 24.05.2017

महाशय,

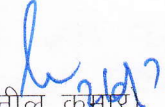
निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयक परियोजना हेतु आवेदित कुल 2.356 हे0 वनभूमि अपयोजन के अतिरिक्त 0.2 हे0 वनभूमि अस्थाई रूप से अपयोजित करने का प्रस्ताव दिया गया है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अस्थाई रूप से वनभूमि अपयोजित करने का प्रावधान नहीं है। किस नियम के तहत विषयक प्रस्ताव समर्पित किया गया है, के संबंध में स्पष्ट मंतव्य विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

उक्त के साथ ही निम्नांकित बिन्दुओं पर भी प्रतिवेदन की आवश्यकता है:-

- (क) प्रस्तावित वनभूमि पर अवस्थित वृक्षों एवं काटे जाने वाले वृक्षों की संयुक्त गणना कर अलग-अलग गणना सूची।
- (ख) प्रस्तावित पथ की पूर्ण लम्बाई में पड़ने वाली भूमि का राजस्व पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित Land schedule.

अनुरोध है कि उक्त वांछित मंतव्य/प्रतिवेदन विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

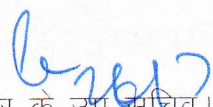
विश्वासभाजन


(सुनील कुमार)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- वन भूमि -37/2016 - 3094/व0प0, राँची, दिनांक- 26/07/17

प्रतिलिपि-क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।

OK